प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/117687/GZB/GHAZIABAD/6871/CFO

दिनांक: 14-05-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स DURGAWATI HEMRAJ TAH SARASWATI VIDYA MANDIR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता

DURGAWATI HEMRAJ TAH SARASWATI **VIDYA** MANDIR,III BLOCK, **NEHRU**

NAGAR, GHAZIABAD तहसील - GHAZIABAD जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
DURGAWATI HEMRAJ TAH SARASWATI VIDYA MANDIR	4	1	14.20 mt.

तथा प्लाट एरिया 6300.97 sq.mt है। भवन का अधिभोग DURGAWATI HEMRAJ TAH SARASWATI VIDYA MANDIR (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनाँक 18-05-2024 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री VIPIN KUMAR के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि 18-05-2024 से 18-05-2027 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note: यह अनापत्ति प्रमाण निम्न उपबन्धो के अधीन एनबीसी-2005 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।1-अई अभिकर्ता/ अग्निशमन अभियन्ता से वर्ष मे न्यूनतम एक बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह मे भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे।2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए०एम०सी०/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाये।3-विधुत सुरक्षा निदेशालय का विधुत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।4-भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा, यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लघंन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



(Rahul Pal)

[AC551D1C1977602518FD17F7DCFBA9B10AD96EDA]

18-05-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक: 18-05-2024

स्थान: GHAZIABAD